उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2021

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2021]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 9 मार्च, 2021 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 9 मार्च, 2021 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2–नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्ति

3–इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,–

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न किये गये हों।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

fujfl r fd;s tk jgs vf/kfu;e

1	संयुक्त प्रान्त कपास नाशि कीट नियंत्रण अधिनियम,1936 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1936)
2	संयुक्त प्रान्त प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1938 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1938)
3	उत्तर प्रदेश औषधि नियन्त्रण (संशोधन और अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1951)
4	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1952)
5	उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम,1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1953)
6	उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1953)
7	उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1954)
8	उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1957 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1958)
9	दण्ड विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1961)
10	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम,1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1962)
11	उत्तर प्रदेश बांट तथा मांप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1963)
12	उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1963)
13	उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1964)
14	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1965)
15	उत्तर प्रदेश बांट तथा मांप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1966)
16	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा विधिमान्यकरण), अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम

	संख्या 7 सन् 1970)
17	उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1970)
18	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1970)
19	उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1971)
20	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1972)
21	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1972)
22	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1973)
23	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1974)
24	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1974)
25	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1976)
26	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1978)
27	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 24 सन् 1978)
28	उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1978)
29	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1979)
30	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1982)
31	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1982)
32	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1983)
33	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1984)
34	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1985)
35	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1985)
36	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1985)
37	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1986)

38	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1987)
39	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1989)
40	उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1989)
41	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1990)
42	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1990)
43	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1991)
44	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1992)
45	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1995)
46	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1995)
47	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1997)
48	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1998)
49	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1998)
50	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1999)
51	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1999)
52	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1999)
53	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2000)
54	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2000)
55	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2000)
56	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2000)
57	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2001)
58	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2001)
59	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2006)

60	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2009)
61	महा प्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2011)

———————

उद्देश्य और कारण

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक आवधिक उपाय है जिनके द्वारा उन अधिनियमितियों, जो प्रवर्तन में नही रह गयी हैं या अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है। राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर अप्रचलित हो चुके तथा पृथक–पृथक अधिनियमों के रूप में प्रतिधारित किये जाने हेतु अनावश्यक हो चुके अधिनियमितियों का, प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात् राज्य विधान मंडल के प्रथम सत्र, 2021 में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 पुरः स्थापित किया जाता है।